:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार न्योल आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–88/2022 दायर दिनांक 21.11.2022

मोहन पिता हिरा डामोर निवासी ढेचराभगत तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज

–वादी

बनाम

1 मोती पिता हिरा डामोर निवासी ढेचराभगत

2 श्रीमती मणी पत्नी रमणलाल डामोर

3 हिम्मसिंह पिता रमणलाल डामोर निवासी ढेचराभगत तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज

4 श्री राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सीमलवाडा जिला डूँगरपूर

–प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा 53, 88, 188, 209 रा.का. अधिनियम

उपस्थितः–

1 श्री भगवान गुर्जर अधिवक्ता वादी।

:: निर्णय :: दिनांक 08/07/2024

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की सयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि गॉव ढेचराभगत कें खाता संख्या 90 के खसरा सख्या 285, 286, 287, 288, 362, 367, 368, 369, 438 कुल किता 9 का कुल रकबा 3.8365 हैक्टेयर भूमि है। वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/3 हिस्सा है। यह कि वादग्रस्त आराजीयात में वादी के 1/3 हिस्से एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 03 का 1/6, 1/6 हिस्सा किया जाकर कर पारिवारिक बंटवारा अनुसार रिकॉर्डेड बंटवारा किया जावे।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी सख्या 01 से 03 की ओर से बावजूद तामिल कोई उपस्थित नहीं होने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी ने अपने वाद के समर्थन में जमावन्दी पेश की तथा बयान दर्ज करवाये।

वादी की ओर से बहस सुनी गई। वादी की खातेदारी भूमि होने तथा वाद बंटवारे का होने से स्वीकार किया जाता है।

::आदेश::

अतः गॉव ढेचराभगत कें खाता सख्या 90 के खसरा सख्या 285, 286, 287, 288, 362, 367, 368, 369, 438 कुल किता 9 का कुल रकबा 3.8365

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner

हैक्टेयर भूमि का मौके पर कब्जे काश्त एवं रिकॉर्ड में हिस्से के अनुसार बंटवारा करने की आज्ञा दी जाती है। तहसील तहसील सीमलवाडा मौके पर कब्जे काश्त एवं रिकॉर्ड में हिस्से के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में अविलम्ब पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

आज दिनांक 08/07/2024 को उक्त निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया है।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner